न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी–शक्तिसिंह भाटी, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 01/2018
दायर दिनांक – 03/01/2018
निर्णय दिनांक – 01/05/2018

अनवान

1. गिरजाशंकर पिता भेरूलाल जोशी निवासी पीपली अहिरान तहसील रेलमगरा

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा तहसील रेलमगरा
2. दीपक पिता गौरीशंकर जोशी निवासी पीपली अहिरान तहसील रेलमगरा
3. हंसा विधवा गौरीशंकर जोशी निवासी पीपली अहिरान तहसील रेलमगरा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956 के तहत प्रस्तुत किया कि प्रार्थी व विपक्षीगण संख्या 2 व 3 के स्वामित्व एंव आधिपत्य की ग्राम पीपली अहिरान की सीमा मे आराजी सं 613 ,614 ,615, 616, 631, 632, 633 कुल किता– 07 रकबा 16–02 बीघा भूमियां स्थित है। इन उक्त आराजीयत की सिचांई आराजी चाह नम्बर 631 रकबा 00–02 बीघा से होती है। साबिक रिकार्ड के अनुसार कुए का साबिक नम्बर 629 होकर रकबा 02 बिस्वा है। इस कुए का तत्कालीन साबिक रिकार्ड व नक्शे के अनुसार कुए का फेरा उतर की और होकर उतर की और स्थित जमीनों की सिचाई के कार्य में उपयोग उपभोग किया जाता है। सेटेलमेट विभाग के कर्मचारियों की गलती से इस उक्त आराजी चाह सं 631 का फेरा पूर्व दिशा की और अंकित कर दिया गया, जबकि मौके पर आज भी उक्त कुए का फेरा उतर दिशा की ओर ही स्थित है। इस प्रकार फेरा की दिशा बदलने का या किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने का सेटलमेंट अधिकारियों का कोई अधिकार नही था। सेटेलमेट विभाग की कर्मचारियों की गलती से कुए का फेरा पूर्व दिशा मे दर्शित हो जाने से पूर्व दिशा की और स्थित प्रार्थी के खाते की जगह का प्रार्थी सम्परिवर्तन नही करा पा रहा है। इस उक्त गलती के कारण राजस्व विभाग तथा प्रतिवादी इस कुए के पूर्व की और स्थित प्रार्थी की भूमि को सम्परिवर्तन नही कर रहा है, जो की सम्परिवर्तन किया जाना आवश्यक है क्योकि इस कुए के पूर्व की और स्थित भूमि के पूर्व की और भूमि सम्परिवर्तित होकर जिसका पट्टा विपक्षी

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

संख्या 02 के नाम जारी हो रखा है। सेटेलमेंट विभाग के कर्मचारियों की गलती से कुए का फेरा उतर दिशा की बजाय पूर्व दिशा में अंकित कर दिये जाने से प्रार्थी के कब्जे की फेरा के पूर्वी भूमि का उपयोग उपभोग सम्परिवर्तन रूप मे प्रार्थी द्वारा नहीं किया जा सके रहा है। प्रार्थी ने प्रतिवादी को अनेकदा कहा परन्तु वे कोई कार्यवाही नही कर रहे है। जिससे प्रार्थी के लिए आवश्यक हो गया है कि आप न्यायालय से सेटलमेट विभाग की गलती को सुधरवाकर कुए का फेरा पुनः उतर की और तरमीम करवा लिया जाये अन्यथा प्रार्थी को अपूर्णिय क्षति होगी जिसकी पूर्ति अर्थ में सम्भव नही होगीं। उक्त कारण से नक्शें मे, जो कुआ का फेरा गलत दिशा में दर्शा रखा है, उसे सुधरवाया जाना आवश्यक हो गया है। कुए के पास ही प्रार्थी दीपक का नोहरा बना हुआ है। जिसका पट्टा बना हुआ है जो कुए के पूर्व में ही स्थित है और फेरा पश्चिम में है। और पूर्व मे ही प्रार्थी गिरजाशंकर जी की बाउण्ड्री भी बनी हुई है। उसे इस उक्त बाउण्ड्री के पश्चिम की और स्थित इस उक्त प्लाट के दक्षिण मे पीपली अहिरान कुरज कांकरोली रोड है। उतर मे प्रार्थीगण के ही खेत है। कुए के फेरा और पूर्व में दीपक के नोहरे के बीच मे 41.5 फीट गुणा 44 फिट भूमि को संपरिवर्तन कराना चाहता है, जिससे पहले उक्त गलत फेरा की दिशा पुनः पूर्ववत कराई जाना आवश्यक हो गया है। फेरा मौके पर उतर की और जा रहा है। और पूरे भू भाग के पश्चिम मे है जबकि पैमाईश में फेरा पूर्व की और बता दिया है, जिसे दुरस्त कराना आवश्यक हो गया है । यह गलती लिपीकीय है। विपक्षी संख्या 2 व 3 आवश्यक पक्षकार एव सहखातेदारान होने से पक्षकार बनाया गया है, अलबता उनके विरूद्ध कोई बाद नही चाही गयी है। प्रार्थना पत्र का कारण प्रतिवादी को बावजुद सुचना कुए के फेरे की तरमीम नही सुधारने से दिनाांक 28.06.2016 को उत्पन्न होकर बमुकाम पीपली अहिरान उत्पन्न हुआ जो चालू है। अतः प्रार्थना पत्र है कुए का फेरा की तरमीम उतर दिशा की और करवाई जाने का आदेश पारित फरमाया जावे। पूर्व दिशा की और अंकित फेरा की तरमीम को विलोपित कराया जावे।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी संख्या 02 व 03 बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से प्रकरण में एक तरफा कार्यवाही के आदेश प्रदान किये गये। पत्रावली विपक्षी संख्या 01 पेरोकार सरकार के जवाब में नियत थी कि प्रकरण को राज्य सरकार द्वारा आयोजित राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार–2018 के तहत ग्राम पंचायत पिपली अहिरान में आयोजित शिविर में रखा गया। प्रकरण में पेरोकार सरकार विपक्षी संख्या 01 के दौराने शिविर मौका रिपोर्ट तैयार की जाकर प्रस्तुत की गयी कि ग्राम पिपली अहिरान के आराजी नम्बर 631 रकबा 00–02 बीघा किस्म आचाह पर श्री गिरिजाशंकर पिता भैरूलाल 1/2, दिलीप पिता गौरीशंकर, हंसा पति स्व. गौरीशंकर 1/2 ब्राहम्ण सा.देह खातेदार के नाम दर्ज रेकार्ड है। वर्तमान आराजी संख्या 631 के साबिक आराजी संख्या 629 होकर दोनो फेरे की दिशा उत्त पूर्व की तरफ है। वर्तमान सेटलमेन्ट द्वारा त्रुटिवश रिकार्ड में फेरे की दिशा में कोई परिवर्तन

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)

नही होना पाया जाता है। मौतबिरान से जानकारी करने पर जाहिर आया कि भू प्रबन्ध के बाद खातेदार द्वारा कुए का जीर्णोद्धार करने से वर्तमान में फेरे की दिशा पश्चिम की तरफ में है। कुए की पूर्वी दिशा में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि स्थित होकर मौके पर पक्की सडक पिपली अहिरान से पिपली आचार्यान बनी हुई है। वर्तमान नक्शें में व सेटलमेन्ट के नक्शें में कोई भिन्नता नही है।

प्रकरण में विपक्षी संख्या 01 पेरोकार सरकार को सुना गया तथा पत्रावली एवं उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करने पर विपक्षी संख्या 01 की रिपोर्ट कि वर्तमान नक्शें में व सेटलमेन्ट के नक्शें में कोई भिन्नता नही है से यह स्पष्ट हो गया है कि प्रार्थी द्वारा गलत एवं मित्या तथ्यों पर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो स्वीकार योग्य प्रतीत नही होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट का अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 01/05/2018 को कोर्ट कैम्प पिपली अहिरान पर मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(शक्तिसिंह भाटी)
सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा